

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक – 1683 / 23 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक 11 / 8 / 2017

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग मार्ग 0.772 हे० का निर्माण। FP/UK/ROAD/12313/2015

सन्दर्भ :- अपर प्रमुखवन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक शून्य दि. 14.07.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रके कम में अवगत करना है कि FP/UK/ROAD/12313/2015 के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपको प्रेषित की जा रही है :-

Sl. No.	E.D.S. R.O.	Reply by User Agency
1	Total period for which area to be diverted is not correctly filled in Part I.	Correction has been made. 99 year entered in Part-I
2	Proceedings of village level committee (VLC) meeting provided for village Ghudsal but in village wise break up the name of village mentioned is Saikot. The State Govt may correct or describe this discrepancy and provide the VLC for the same village under which area proposed for diversion comes.	NOC of Saikot Village is also attached in FRA papers and uploaded in additional information and soft copy attached.
3	In the muck disposal plan the location of dumping yard also shown in naap land but in component wise break up the muck disposal shown only in forest land. The State Govt may correct the information and provide revised muck disposal plan accordingly.	प्रस्ताव में 0.072 हे० मक डिस्पोजल का प्राविधान मात्र सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार) में ही किया जा रहा है। जैसा कि प्रस्ताव के पृष्ठ सं. 113 में उल्लिखित है।
4	In Part I the correct copy of map indicating alternate examined is not provided.	In Part-I the Alternative alignment already shows in Topo sheet and Digital Map in Part-I and soft copy attached.
5	The FRA certificate is undated and the word NOT APPLICABLE IS mentioned against point A,B,C which is incorrect. The State Govt may submit revised FRA certificate without mentioning NOT APPLICABLE.	The corrected FRA certificate is now uploading. And soft copy attached.

6	The administrative and financial approval of the road is not opening in online Part I uploaded as an additional document.	The clear Administrative & Financial approval is uploaded in Additional Information. soft coy attached.
7	In Part II the details against working plan prescription of the area is wrongly filled.	In Part-II the correct working plan is uploading in Additional Information soft coy attached.
8	Details of wildlife is not provided in online Part II.	This point is not concern to this department.

सलंगन - उपरोक्तानुसार सूचना।

10-8-17
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रां.खं. लो.नि.वि.,
 मोपेश्वर

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :- Camp

Dated :- 10-03-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (M.O.E.F.) Government of India's letter No. 11-9 98-EC (pt.) dated 3rd August 2002 wherein the M.O.E.F. issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of identification and completion of the process of tribes and other Traditional Forest Dwellers (Tribes/Other Traditional Forest Dwellers) (Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued opinion No. 772/2013 dated 11-02-2013 wherein MOEF certified that the project of forest land proposed to be diverted for non-forest purposes (user agency) for Construction of Ghurshad Sati Tunnel in A.D. Dasoli Block in District Chamoli. Under FWD category, Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsil.

(F) Government of India's letter No. 11-9 98-EC (pt.) dated 3rd August 2002 wherein the M.O.E.F. issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of tribes and other Traditional Forest Dwellers (Tribes/Other Traditional Forest Dwellers) (Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued opinion No. 772/2013 dated 11-02-2013 wherein MOEF certified that the project of forest land proposed to be diverted for non-forest purposes (user agency) for Construction of Ghurshad Sati Tunnel in A.D. Dasoli Block in District Chamoli. Under FWD category, Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsil.

It is further Certified that :

- | SN | Remarks |
|-----|--|
| (A) | The complete process for identification and certification of rights under the FRA has been carried out for the entire area proposed for diversion. Copies of records of all constructions and facilities of the forest right communities and District Forest Committee are enclosed as annexure (1) to this entry. |
| (B) | The diversion of forest land for facilities envisaged by the Government as required under section 3(2)(b) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has been consulted and the Gram Sabha has been consulted and the Gram Sabha has been consulted. |
| (C) | The proposal does not involve recognized rights of primitive tribes, Groups and People's Rights. |

Remark

As there are no tribes and other traditional forest dwellers.

As there are no tribes and other traditional forest dwellers.

As there are no tribes and other traditional forest dwellers.

Signature

[Signature]

Deputy District Magistrate
Chamoli

[Signature]
Deputy District Magistrate
Chamoli

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 10.3.2015 at time 12.00 hrs. at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.772 Hect of civil land for the Construction of Ghurshal-Saikot motor road, Under State Sector (length 1.50 km) at Dasoli Block in District- Chamoli forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated:.....

Signature

(Ashok Kumar)

(District Magistrate Chamoli)

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।
कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 7.3.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1- श्री अवधेश कुमार सिंह | उपजिलाधिकारी (सदर) | अध्यक्ष |
| 2- श्री रघु एन. सिंह | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री आर. ए. ल. खन्ना | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्रीमती सुनीता पवार | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

Av GSR
07/03/2015
उप जिलाधिकारी
चमोली

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य
वन केलाधिकारी
र-16644

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

सुनीता पवार
बी.डी.सी. क्षेत्र
सदस्य

(3)

परियोजना का नाम : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0-772-हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 0-772-हे0 सिविल एवं आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

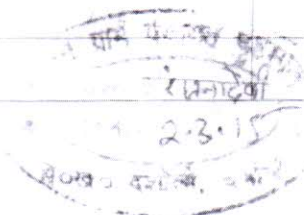
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 0-772-हे0 सिविल एवं आरक्षित भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रमाणित
हस्ताक्षर प्रमाणित
दिनांक 23/3/15
जनपद चमोली, दशोली

दि. 02/03/2015 को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्र.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शिशुपाल सिंह	
2	हरीश चन्द	
3	राम चन्द्र सिंह	
4	मातवर सिंह	
5	मनवर सिंह	
6	पदीप सिंह	
7	बलवीर सिंह	
8	त्रिलोक सिंह	
9	कुंवर सिंह	
10	मोहन सिंह	
11	दरवान सिंह	
12	मनप सिंह	
13	विनोद लाल	
14	नन्द सिंह	
15	मनवीर सिंह	
16	त्रिलोक सिंह सती	
17	नारायण सिंह	
18	धूर्त सिंह	
19	गदीश लाल	
20	नरेन्द्र सिंह	



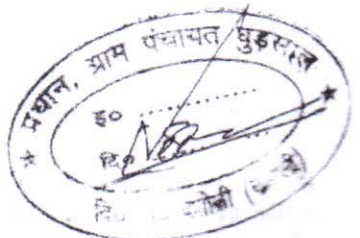
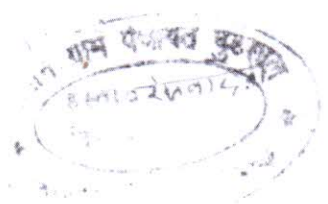
अनापत्ति प्रमाण पत्र

हम समस्त ग्राम वस्ती ग्राम दुइसाल सेवोट घोषित करते हैं कि मोटर मार्ग दुइसाल-सेवोट के निर्माण जो लोग निगीठ गोपेस्वर हमरा किमा गया है, उसमें ग्राम-वासियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, यह कर्म सम्प्राप्ती प्रारम्भ किमा जाम,

समस्त ग्रामवासियों के नाम कहस्ताकर

- (1) विजयपाल सिंह
- (2) दीपक पंवार
- (3) गुरुनाथ सिंह
- (4) कलशान
- (5) बलवीर सिंह
- (6) मन्तर सिंह
- (7) जयवन्त सिंह
- (8) अमल सिंह
- (9) जयेश चन्द
- (10) अजय लाल
- (11) गुरुनाथ सिंह
- (12) विजयश्री
- (13) दुर्गन्त सिंह
- (14)
- (15) विजयपाल सिंह
- (16)
- (17)
- (18)
- (19)
- (20)

समस्त
कलशान
बलवीर सिंह
मन्तर सिंह
जयवन्त सिंह
अमल सिंह
जयेश चन्द
अजय लाल
गुरुनाथ सिंह
विजयश्री
दुर्गन्त सिंह
विजयपाल सिंह



सत्य प्रतिनिधि
सहपञ्च
प्रा. खण्ड ला. नि.
गोपेस्वर